GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF TOURISM

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.33
ANSWERED ON 06.02.2025

SPECIAL ASSISTANCE FOR TOURISM PROMOTION UNDER CAPITAL INVESTMENT SCHEME

33 SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY:

Will the Minister of **TOURISM** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry under Special Assistance to States/UTs for Capital Investment Scheme has sanctioned funds for development of 40 lesser-known sites in the country;
(b) whether it is also a fact that Gandikota, Nallamala and Rajamahendravaram have been identified from the State of Andhra Pradesh for this purpose;
(c) if so, the details of special assistance going to be given to the above mentioned sites in Andhra Pradesh, site-wise;
(d) whether any timelines have been fixed for completion of the above projects; and
(e) if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF TOURISM (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT)

(a) to (e): A Statement is laid on the Table of the House.

****

STATEMENT IN REPLY TO PARTS (a) TO (e) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.33 ANSWERED ON 06.02.2025 REGARDING SPECIAL ASSISTANCE FOR TOURISM PROMOTION UNDER CAPITAL INVESTMENT SCHEME RAISED BY SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY:

(a) to (e): Government of India under its 'Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) – Development of Iconic Tourist Centres to Global Scale' sanctioned 40 projects in 23 States for ₹3295.76 Crore in the country in Financial Year 2024-25.

State Government of Andhra Pradesh submitted 3 project proposals viz. 'Akhanda Godavari: Reimagining Havelock Bridge and Redevelopment of Pushkar Ghat, Rajamahendravaram, 'Gandikota - Enriching the Fort and Gorge Experience' and 'Surya Lanka- The Global Iconic Retreat' of Andhra Pradesh for consideration under SASCI scheme. After due process, the Government has sanctioned the following projects in Andhra Pradesh for implementation in SASCI scheme:

S.No.	**Name of the project**	**Amount Sanctioned (₹ In Crore)**
1.	Gandikota – Enriching the fort and Gorge Experience	77.91
2.	Akhanda Godavari: (Havelock Bridge & Pushkar Ghat) Raja Mahendravaram	94.44
	Total	172.35

Government of India has further released ₹113.75 Crore as first instalment to the State Government in respect of the above-mentioned projects. As per the operational guidelines of the scheme, the projects under the scheme shall be developed and completed in a period of 2 years.

****

भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न सं. 33

गुरूवार, 6 फरवरी, 2025/17 माघ, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूंजी निवेश योजना के अंतर्गत विशेष सहायता

33 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत देश में 40 कम ज्ञात स्थलों के विकास के लिए धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रयोजन के लिए आंध्र प्रदेश राज्य से गांडिकोटा, नल्लमाला और राजामहेंद्रवरम की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में उपर्युक्त स्थलों को दी जाने वाली विशेष सहायता का स्थल-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूंजी निवेश योजना के अंतर्गत विशेष सहायता के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 33 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में **विवरण**

(क) से (ड.): भारत सरकार ने 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का विकास' नामक अपनी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश के 23 राज्यों में 3295.76 करोड़ रुपये की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एसएएससीआई योजना के अंतर्गत 3 परियोजना प्रस्तावों अर्थात् आंध्र प्रदेश में 'अखंड गोदावरी: रिइमेजिनिंग हैवलॉक ब्रिज और पुष्कर घाट, राजामहेंद्रवरम का पुनर्विकास', 'गंडिकोटा - फोर्ट एवं गॉर्ज एक्सपीरियंस का संवर्धन', और 'सूर्य लंका- एक प्रतिष्ठित वैश्विक आश्रयस्थल' को विचारार्थ प्रस्तुत किया है। यथोचित प्रक्रिया के उपरांत, सरकार ने एसएएससीआई योजना के तहत कार्यान्वयन हेतु आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी है:

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
1.	गंडिकोटा - फोर्ट एवं गोर्ज एक्सपीरियंस का संवर्धन	77.91
2.	अखंड गोदावरी: (हेवलॉक ब्रिज और पुष्कर घाट) राजामहेंद्रवरम	94.44
	कुल	**172.35**

भारत सरकार ने उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को पहली किस्त के रूप में 113.75 करोड़ रु. भी जारी कर दिए हैं। एसएएससीआई योजना के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को 2 वर्ष की अवधि में विकसित और पूर्ण किया जाएगा।

*****

SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY: Sir, I would like to know from the hon. Minister if the Government has conducted any assessment on the impact of these tourism projects on local employment and economic growth. If so, what are the expected job creation numbers and infrastructure improvements in the selected sites? This is my supplementary number one.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि tourism projects के sanction करने से what exactly is the number of jobs that are going to be created. मुझे लगता है कि माननीय सदस्य के प्रश्न का संदर्भ अभी हाल में दो महीने पहले SASCI के Special Assistance to the States के अंतर्गत जो projects sanction किए गए थे, उसके संदर्भ में होगा। अभी हमने जो projects sanction किए हैं, उनमें निश्चित रूप से हमने जिन पाँच विषयों का संदर्भ लिया है, उनमें tourism eco system, connectivity to the site, carrying capacity assessment and sustainability measures, इन चार चीजों को प्रमुखता के साथ रखा है। लेकिन यह तय है कि जब कभी जिस जगह पर tourism potential grow होता है, तब automatically वहाँ पर many fold job creation होता है। And, tourism is considered worldwide as the second largest job creator. Exact number estimate करना मुझे लगता है कि it is too early, but निश्चित रूप से इन projects की sites को जहाँ identify किया गया है, future में वहाँ footfall increase होगा। Many of the sites which have been considered are the sites of altnerative tourist destinations from their established destinations. When we create some tourism infrastructure or introduce a new tourism project, certainly, the job creation with the increasing footfall of tourists increases. I wish, we hope and expect that manifold job creations is going to happen.

SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY: Sir, with the long coast of 950 kilometers in Andhra Pradesh, it has rich potential to develop tourism. I would like to know from the hon. Minister: Are there any plans by the Ministry to include some of the beach stations to develop under the 'Special Assistance to States for Capital Investment – Development of Iconic Tourist Centres to Global Scale' in Andhra Pradesh? Sir, under Temple Tourism, how many places have been identified in Andhra Pradesh for development under this Scheme?

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: Sir, tourism is State List subject. So, primarily, the projects are to be identified and proposals are to be developed by the State Governments. So, for beach tourism, if any project is being 'deemed fit' by the State Government, they can send the project proposals to the Government under the various Schemes which are available. Looking towards the finances and the scope, we consider the projects and then we grant the assistance. As far as the PRASAD

scheme is concerned, which the hon. Member has mentioned about, there are four projects in Andhra Pradesh under the PRASAD scheme which have been sanctioned so far: Development of Pilgrim Amenities at Amravati, Development of Srisailam Temple, Development of Pilgrimage Amenities at Sri Varaha Lakshmi Narasimha Swami Vari Devasthanam at Simhachalam, and Development of Pilgrimage Tourism Infrastructure in Annavaram Temple Town. Barring Development of Pilgrimage Tourism Infrastructure in Annavaram Temple Town, all of these projects are complete and 100 per cent financial assistance has been provided.

श्री उपसभापति : प्रो. मनोज कुमार झा।

प्रो. मनोज कुमार झाः माननीय उपसभापति महोदय, इस प्रश्न में प्रश्न से ज्यादा आग्रह का समावेश है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे बिहार में बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट के अलावा जो मातृ शक्ति के केंद्र हैं, क्या उनके लिए बिहार सरकार की ओर से कोई प्रपोजल आया है? अगर नहीं, तो क्या केंद्र प्रो-एक्टिव होकर इस पर कुछ पहल करने का विचार कर रहा है?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के विचार का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट को प्राइमरिली स्टेट को कंसीव करना होता है। अगर इस तरह का प्रोजेक्ट प्रपोजल बिहार स्टेट से आता है, तो निश्चित रूप से उसको कंसीडर किया जा सकता है। यदि वह तय नियमों की प्रक्रिया में समाहित होता है, तो उसे कंसीडर किया जा सकता है।

माननीय संसद सदस्य भी जब इस विषय में या इस तरह के विषय में सीधे भारत सरकार को या मुझे पत्र लिखते हैं, तो भी हम तय प्रक्रिया के अनुरूप राज्य सरकार को उसके कंसीडरेशन के लिए भेजते हैं। यदि इस तरह का कोई पत्र हमें प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को उसे भेजने में हम सबको प्रसन्नता होगी।

श्री उपसभापति: माननीय श्री साकेत गोखले।

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, my question is about the Special Assistance to States for Capital Investment, as they say, the SASCI Scheme. So, under this Scheme, the Union Government has given Rs. 172 crores to Andhra Pradesh, Rs. 147 crores to Bihar, Rs. 151 crores to Gujarat, Rs. 200 crores to Madhya Pradesh and Rs. 154 crores to Uttar Pradesh. This is according to an answer tabled by the hon. Minister in the Lok Sabha. Sir, not a single rupee has been given to the State of West Bengal and the Union Government has not … …*(Interruptions)*…Let me come to my question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes.

SHRI SAKET GOKHALE: The Union Government has not covered a single tourism site in Bengal under this. My overall question to the Minister is, please state why the Union Government is constantly ignoring Bengal and giving a step-motherly treatment when it comes to giving Union Government's funds, not just funds we deserve but also our dues from the Central Government.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः माननीय उपसभापति महोदय, मैं अत्यन्त खेद के साथ एक विषय कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने अभी खड़े होकर भारत सरकार की मंशा के ऊपर प्रश्नचिह्न खड़ा करने का प्रयास किया है। ...(**व्यवधान**)...

माननीय उपसभापति महोदय, हमने चार बार वेस्ट बंगाल सरकार को लिखित में भेजा, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी बात की, उसके बाद भी वेस्ट बंगाल सरकार से प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं भेजा गया। ...(**व्यवधान**)... प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं भेजा गया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down, Mr. Saket Gokhale.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः महोदय, जैसा मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट प्रपोजल राज्य सरकार को भेजना होता है, तो मुझे लगता है की स्टेप मदरली ट्रीटमेंट भारत सरकार नहीं कर रही है, बल्कि कहीं और से इस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ...(**व्यवधान**)... अपनी तरफ भी घूम करके देखना चाहिए।

DR. BHAGWAT KARAD: Hon. Deputy Chairman, Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister that कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के माध्यम से क्या नाइट टूरिज्म और हिली एरिया टूरिज्म के लिए कुछ फंड्स दिए हैं? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः माननीय उपसभापति महोदय, Special Assistance Scheme के तहत जो प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए, उन प्रोजेक्ट्स में हमने निश्चित ही हमारे हिमालयी क्षेत्र के लिए भी प्रोजेक्ट्स को कंसिडर किया है। अब तक मेरे संज्ञान में नाइट टूरिज़्म का कोई specific project proposal नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर कहीं रात्रि में टूरिज़्म इन्फ्रास्ट्रक्चर या रात में टूरिज़्म ग्रो करने के लिए या किसी तरह की सफारीज़ ग्रो करने के लिए प्रस्ताव आएँगे, तो तय नियमों के तहत हम उस पर विचार करेंगे।

श्री उपसभापतिः प्रश्न संख्या 34.